संख्या-78/1855/26-3-2015-885/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-6094/2014 पृथ्वीराज चैहान महाविद्यालय मऊ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-865/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-17.06.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-23.09.2014 के अनुपालन में एक अन्य याची शिक्षण संस्था कुमार परमार्थ बाबा, गोबिन्द महाविद्यालय,कल्यानपुर, मऊ की वर्ष 2011-12 की अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-3.2106/- लाख (रूपया तीन लाख इक्कीस हजार साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृं0 संख्या-78/2015/1855 (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in